ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 119/2025 तारीख दायर : 18–10–2025 अगली सुनवाई : 15–11–2025

श्रीमती बबली देवी पत्नी श्री भगवान दास, निवासी गांव रूणपू, डाकघर किन्नू, जिला शिमला, हि0प्र0 .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.——प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत अभिलेख किन्नू में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

श्रीमती बबली देवी पत्नी श्री भगवान दास, निवासी गांव रूणपू, डाकघर किन्नू, जिला शिमला, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में अपने पुत्र श्री आरूष का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत किन्नू के अभिलेख में दर्ज करवाने बारे आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि अज्ञानतावश वह अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण पंचायत अभिलेख किन्नू में दर्ज न करा सकी। जिसकी जन्म तिथि निम्न है:——

क्रम सं0	सदस्य का नाम	सम्बन्ध	तारीख जन्म
1.	आरूष	पुत्र श्री भगवान दास	25–12–2015

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया के पुत्र का जन्म पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15–11–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 18–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
(प्रेम सिंह),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

——————————